



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29032023-244750
CG-DL-E-29032023-244750

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1399]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 29, 2023/चैत्र 8, 1945

No. 1399]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 29, 2023/CHAITRA 8, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2023

का.आ. 1452(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 5842(अ) तारीख 14, डिसेम्बर 2022, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के नंदुरबार जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 के कि.मी. 606 से कि.मी. 649 (अमरावती-महा./गुजरात सिमा सेक्शन) (कलेक्टर ऑफिस नंदुरबार) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "14, जनवरी 2023" के "पुण्य नगरी (मराठी)" और "दि इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेजी)" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और एक भी आक्षेप सक्षम प्राधिकारी को प्राप्त हुए नहीं थे ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के नंदुरबार जिले में संख्या NH53(Old NH 06) पर प्रस्तावित जळगाव से महा. / गुजरात सिमा के खंड (कि.मी. 606 से कि.मी.649) (कलेक्टर ऑफिस नंदुरबार) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: नंदुरबार			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: नवापुर				
	गांव का नाम: गंगापुर				
1	62/1	निजी	अकृषि	0.21	निता मनीष अग्रवाल व इतर ६ (62/1अ, 62/1ब, 62/1क, 62/1ड, 62/1ऊ, 62/1फ, 62/1ई/1)
	गांव का नाम: कोठडे				
2	96/6/C	निजी	कृषि	0.3687	गोविंद मान्या गावित (९६/६/क)
3	98/1/A/1	निजी	कृषि	0.0441	मनेश अमरसिंग कोकणी व इतर 4 (९८/१/अ/१)
4	98/2/A	निजी	कृषि	0.815	सुरूपसिंग मोयच्या कोकणी व इतर 4 (९८/२/अ)
5	98/2/B	निजी	कृषि	0.05	रघु नारू कोकणी व इतर ४ (९८/२/ब)
			कुल	1.4878	

[फा. सं. NHAI/PIU/NSK/NH-6/LA/2010/3D]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2023

S.O. 1452(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 5842 (E), dated the 14th December, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH-06 on the stretch of

land from Km. 606 to Km. 649 (Amravati - Maharashtra/Gujarat Border section) in the district of NANDURBAR in the state of MAHARASHTRA.

And whereas the substance of the said notification has been published in “*Punya Nagari (Marathi)*” and “The Indian Express (*English*)” both dated 14, Jan. 2023; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas No objections have been received to the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from 606.00 Km to 650.794 Km (Fagne - MH/GJ Border section) of the NH-53 (collector office nandurbar) in the district of NANDURBAR in the state of MAHARASHTRA.

State: MAHARASHTRA		District: NANDURBAR			
Sl. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Nawapur				
	Village: Gangapur				
1	62/1	Private	Non - Agriculture	0.21	Nita Manish Agrawal and other 6 62/1A, 62/1B, 62/1C, 62/1D, 62/1U, 62/1F, 62/1/E/1
	Village: Kothade				
2	96/6/C	Private	Agriculture	0.3687	Govind Many Gavitt 96/6/C
3	98/1/A/1	Private	Agriculture	0.0441	Manesh Amarsingh Kokani & others 4 98/1/A/1
4	98/2/A	Private	Agriculture	0.815	Surupsing Moyachya Kokani & Others 4 98/2/A
5	98/2/B	Private	Agriculture	0.05	Raghu Naru Kokani & Others 4 98/2/B
			TOTAL	1.4878	

[F. No. NHAI/PIU/NSK/NH-6/LA/2010/3D]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.